

राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/WAM/2016/19720-738 दिनांक 22/03/2017

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक/वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना, जयपुर
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/वित्तीय सलाहकार सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
3. मुख्य अभियन्ता/ वित्तीय सलाहकार, जलसंसाधन विभाग, सिंचाई भवन, जयपुर
4. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय एवं आर.डब्ल्यू.एस.एस.बी.)/वित्तीय सलाहकार, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/ जैसलमेर
6. विकास आयुक्त/ वित्तीय सलाहकार सी.ए.डी. कोटा
7. विकास आयुक्त/ वित्तीय सलाहकार सी.ए.डी. बीकानेर

विषय:- माह मार्च 2017 में निर्माण कार्यों संबंधी बिल कोषालय/उपकोषालय में प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति एवं निर्माण विभागों/निर्माण खण्डों को आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए माह मार्च 2017 में निर्माण खण्डों द्वारा निर्माण कार्य संबंधित बिल कोषालय/उपकोषालय में दिनांक 31.03.2017 को 2.00 P.M. तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। अतः तदनुसार समस्त निर्माण खण्डों के स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करावें।

भवदीय




(आशुतोष वाजपेयी)

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/WAM/2016/19739-20,021 दिनांक 22/3/2017
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक, (आई.टी.), वित्त विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी समस्त को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।



संयुक्त शासन सचिव